नई सोच, नई राह

नवभारत टाइम्स

www.navbharattimes.com चैत्र 23 शक 1928 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम 2063 नई दिल्ली गुरुवार 13 अप्रैल 2006 मूल्य 3 रु. पेज 20*

केंद्र सरकार का गेहूं आयात का फैसला किसके हित में रहा

बहस

आयात की राजनीति

किसान और उपभोक्ता, दोनों के हितों की रक्षा जरूरी

प्रो. जे. डी. अग्रवाल
निदेशक, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनैंस

विदेश से गेहूं आयात करने के फैसले के पीछे दो-तीन अहम कारण नजर आते हैं। पहला, इसमें मांग बढ़ने और उस कारण गेहूं की कीमतों में इजाफा होने के कारण पैदा होने वाले घरेलू दबाव से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय दबाव काम करता लग रहा है। जो देश भारत को गेहूं निर्यात कर रहे हैं, वे अपने किसानों को लाभ पहुंचाने के मकसद से भारत सरकार को गेहूं आयात के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरे, गेहूं आयात के फैसले से घरेलू बाजार में न सिर्फ उसकी बढ़ती कीमतों पर रोक लग सकती है, बल्कि इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग पर भी कुछ अंकुश लगता है।

देखा गया है कि प्राय: हर साल मार्च-अप्रैल के वक्त गेहूं की नई फसल आने पर गेहूं उत्पादक किसान समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग करते हैं। सरकार हर साल समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि इससे अंततोगत्वा महंगाई बढ़ती है। ऐसे में, गेहूं आयात के फैसले की खबर कीमतों पर लगाम लगा सकती है। साथ ही, गेहूं उत्पादक मौजूदा समर्थन मूल्य से ही संतुष्ट हो सकते हैं। हालांकि इस आधार पर गेहूं आयात का फैसला करना कुछ जल्दबाजी लगता है कि पिछले साल गेहूं की कम पैदावार हुई थी और इस साल भी जरूरत के मुताबिक गेहूं उत्पादन नहीं हो सकता है। अभी तक गेहूं की फसल न तो मंडियों में और न ही एफसीआई के गोदामों में पहुंची है। जब तक यह फसल मंडियों में आ नहीं जाती है, उत्पादन में कमी का पुख्ता अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इस फैसले में कुछ जल्दबाजी दिखती है। यह सही है कि उपभोक्ताओं का हित देखना सरकार की जिम्मेदारी है। देश में जब गेहूं की कीमतों में जबर्दस्त बढ़ोतरी हो रही हो, तो आयात जैसे उपाय करके ही कीमतों में स्थिरता लाई जाती है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि इस मामले में किसानों के हितों की पूरी तरह अनदेखी कर दी जाए। यह नहीं हो सकता कि हम सिर्फ उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को देखें और किसानों को भूल जाएं। किसान जो अन्न उपजाते हैं, उसी से तो हमारा पेट भरता है। इसलिए जरूरी है कि किसान और उपभोक्ता, दोनों के हित बराबर संरक्षित होने चाहिए।

यह नीति भी सही नहीं कही जाएगी कि कमी की आशंका में पहले हम गेहूं का आयात करें, फिर फसल की ज्यादा पैदावार की दशा में उसका निर्यात करें। किया तो यह जाना चाहिए कि गेहूं के भंडारण की उचित व्यवस्था हो ताकि उसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। ऐसा होने पर मांग बढ़ने की दशा में संतुलन साधा जा सकता है। कुल मिलाकर इस संबंध में यह कहना ज्यादा उचित लगता है कि गेहूं आयात के फैसले के मद्देनजर मांग का बढ़ना या घटना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह फैसला डब्ल्यूटीओ के दबाव में किया गया है या नहीं।

यही हाल रहा तो किसान गेहूं उपजाना छोड़ देंगे

वंदना शिवा
प्रख्यात पर्यावरणविद

सरकार का गेहूं आयात करने का फैसला सरासर मनमाना और गलत है। इससे होगा यह कि सरकार विदेशों से जब गेहूं का आयात करेगी, तो देश के किसानों से उनका गेहूं नहीं खरीदेगी। वैसे भी पिछले दो-तीन सालों से किसानों से सीधी खरीद में कमी आ रही है। किसान अपना गेहूं बेचने के लिए तमाम तरह की जिल्लतें उठा रहे हैं। न्यूनतम समर्थन भी मूल्य नीचे जा रहा है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनकी बदहाली बढ़ रही है।

ऐसे में गेहूं के आयात से यह आशंका पैदा होती है कि जिस तरह कपास उत्पादक किसानों को उत्पादन ज्यादा और मांग कम होने के कारण फसल की उचित कीमत नहीं मिलने पर आत्महत्या करनी पड़ी, ठीक उसी तरह गेहूं पैदा करने वाले किसानों के साथ भी हो सकता है। कपास उत्पादकों की बदहाली से हमारी सरकार वाकिफ न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। ऐसे में गेहूं उत्पादकों को भी इसी रास्ते पर जानबूझ कर धकेलने की कोशिश कई गंभीर सवाल खड़े करती है। दरअसल, हमारे देश में खाद्यान्न सुरक्षा की कोई स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पहले सरकार 5-10 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात करेगी, इसके बाद हो सकता है, यह मात्रा बढ़ते हुए 20-30 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाए। इससे किसानों में यही संदेश जा रहा है कि उन्हें गेहूं का उत्पादन बंद कर देना चाहिए। इस मामले में एक और बात उल्लेखनीय है। अगर सरकार विदेशों से सतत गेहूं का आयात करेगी, तो न तो ऑस्ट्रेलिया और न ही अमेरिका के पास इतना अनाज है कि वह हमारी जरूरतें पूरी कर सकें। थोड़ी-बहुत पूर्ति हो सकती है, लेकिन अगर आयात से घबराकर वाजिब कीमत नहीं मिलने की आशंका में हमारे किसान गेहूं पैदा करना छोड़ देंगे, तो बेहद खतरनाक स्थितियां बन जाएंगी।

अमेरिका में कहा जाता है 'फूड इज वेपन'। यकीन मानिए कि इराक में अमेरिका जो बम गिरा रहा है, उससे खतरनाक बम वह है, जो गेहूं आयात करके हमारे सिरों पर फोड़ा जा रहा है। गेहूं आयात से देश में इसकी कीमतों पर लगाम लगेगी- यह तथ्य दो कारणों से झूठा है। पहला, हम जो गेहूं आयात करेंगे, उसके ज्यादा दाम देने होंगे। दूसरे, उसकी क्वॉलिटी भी बेहद घटिया होगी, लिहाजा वह गेहूं कोई लेना नहीं चाहेगा। इससे तो सरकार की यही नीयत लगती है कि पहले किसानों को मारो, फिर उपभोक्ताओं की सेहत बिगाड़ो। हम यह कैसे भूल सकते हैं कि जब एक बार देश को मजबूरी में अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ा था, तो उस गेहूं के आटे से तैयार रोटियां लाल रंग की होती थीं और उन्हें चबाना भी बेहद तकलीफदेह था। सरकार को आयात की जगह मूल्य नियंत्रण का कोई ठोस तरीका ढूंढना चाहिए, न कि किसानों और उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ करना चाहिए।